E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–02/2024.........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–9395 दिनांक–22.12.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री भारतेन्दु कुमार, (Emp. ID No.- AEN02988), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका द्वारा ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गई।

उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी का वाद संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

रैयत श्री चंदन कुमार एवं अन्य, साकिन–सरूका, पोस्ट–सबलपुर, थाना–पंजवारा, जिला–बांका द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सही जमीन का गलत सर्वे कर फिर से उसे सुधार करने के नाम पर रिश्वत की मांग करने एवं पैसे नहीं देने पर रैयतों की जमीन को बिहार सरकार करने संबंधी प्राप्त आवेदन को बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका द्वारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं राजस्व अधिकारी से जाँच करायी गयी, जाँच में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सत्य पाया गया। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं राजस्व अधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका ने पत्रांक–928 दिनांक–25.07.2023 द्वारा अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्ति की अनुशंसा की है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका के अनुशंसा के आलोक में निदेशालय द्वारा दिनांक–11.08.2023 को अपीलार्थी से स्पष्टीकरण समर्पित करने की मांग की गयी है।

समर्पित स्पष्टीकरण में अपीलार्थी ने अपने उपर लगाये गये आरोपों को गलत, बेबुनियाद एवं साक्ष्य रहित बताया है। अपीलार्थी ने स्पष्टीकरण में विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के आदेश के अनुसार खेसरा पंजी तैयार करने की बात अंकित की है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि श्री चंदन कुमार द्वारा लगाये गये आरोप का कोई साक्ष्य नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका से मंतव्य की मांग की गयी है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका द्वारा अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थी पर लगे आरोपों को सत्य पाया है तथा अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की है।

अपीलर्थी का कहना है कि पहले मैं बाराहाट, शिविर–01 में कार्यरत था। कुछ रैयतों का गैर–मजरूआ खास एवं गैर–मजरूआ आम खाते की जमीन को अपने नाम खाता खोलने हेतु दबाव बनाया गया था, परन्तु मेरे द्वारा उक्त गैर–मजरूआ खास एवं गैर–मजरूआ आम ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार के नाम खाता खोलने हेतु अनुशंसा की गयी। स्थानांतरण के बाद मुझे कटोरिया–शिविर–1 में पदस्थापित किया गया। मुझे मौजा असघरी (200/37) दिनांक–14.08.2023 को आवंटित हुआ है, मैनें 19.09.2023 को उक्त मौजे की खानापुरी पूर्ण कर लिया तथा अन्य मौजा–खरवारा एवं जमुनिया में खानापुरी का कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया है। अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में बताया गया कि उच्चतर सेवा में जाने हेतु परीक्षा के समय सी0एल0 का उपयोग किया गया है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि दिनांक–17.10.2023 को खरवारा मौजा में खानापुरी करने हेतु खेसरा निर्माण के सहायतार्थ कागजातों की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु आवेदन शिविर प्रभारी को दिया, जिस पर शिविर प्रभारी आगबबूला हो गया और नौकरी से हटाने की धमकी दी है। बदले की भावना में शिविर प्रभारी द्वारा दिनांक–16.10.2023 को (बैक डेट) में याददाश्त पंजी में अनुशंसा से संबंधित स्पष्टीकरण दिया। मैं दिनांक–06.10.2023 को खेसरा पंजी सुधार कर विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, श्री राहुल कुमार को दिया, जिस पर कानूनगो, श्री राहुल कुमार का हस्ताक्षर अंकित है।

दिनांक–22.10.2023 को ऑनलाईन उपस्थिति बनाकर ऑनलाईन Live Location Group में भेज दिया। शिविर कार्यालय से लगभग 60 कि0मी0 दूरी पर नवआवंटित मौजा– जमुनिया एवं बथनाहा में खानापुरी कार्य हेतु चला गया। शिविर प्रभारी के Whatsapp Massage पर मैं साप्ताहिक बैठक में 20 मिनट विलंब से पहुँचा। शिविर प्रभारी, श्री संदीप कन्हैया द्वारा मुझे अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर मिटिंग से बाहर निकाल दिया गया। अपीलार्थी द्वारा आगे बताया गया कि शिविर प्रभारी, श्री संदीप कन्हैया द्वारा हमलोगों को चैंबर में बुलाकर बांका मुख्यालय के नाम पर पैसा मांगते है। साक्ष्य के रूप में अपीलार्थी ने शिविर प्रभारी, श्री संदीप कन्हैया द्वारा रिश्वत मांगने का ऑडियो क्लिप सुनाया गया, जिसका कुछ अंश निम्न है ''संदीप सर – देखिए कुछ लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है ठीक है। पहले 3–4 महीना जो भी हुआ था वो ''एज इट इज'' चलता रहा (पैसा का जिक्र हो रहा है)। कुछ घटना (इसका अभिप्राय रश्मि कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन जो भ्रष्टाचार का आरोप शिविर प्रभारी किम्मी कुमारी पर लगायी थी)। इसके कारण बंद हो गया। फिर हम न टोकने गये न बोलने गए। अगर ऐसा होता तो हम अपने हित के लिए बहुत कुछ बोलते। देखो हम भी कुछ न कुछ पैसा बंदोबस्त को दिए है। हम थोड़े ही दूध के धुले हुए है। कुछ लोग को अभी भी कन्फ्यूजन होता होगा कि सिर्फ अपने शिविर से पैसा माँगा जाता है दूसरे शिविर से नहीं ऐसा नहीं है। हम अपने लिए नहीं मांग रहे है। Headquarter में पैसा जाता है।''

अपीलार्थी द्वारा रिश्वत मांगने संबंधी दूसरी साक्ष्य के रूप में Whatsapp Group के Massage का स्क्रीन शॉट दिया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट से होता है कि सभी लोगों से 1000 रूपया जमा करने को कहा जा रहा है। साथ ही 100 रूपये सफाई के नाम पर मांग की जा रही है। पैसा देने वाले के नाम एवं कितना पैसा दिये इसकी सूची भी स्क्रीन शॉट में है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी, श्री भारतेन्दु कुमार, (Emp. ID No.- AEN02988), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–9395 दिनांक–22.12.2023 को रद्द किया जाता है।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि श्री संदीप कन्हैया, विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–शिविर प्रभारी, कटोरिया, शिविर–01 को तत्काल क्षेत्र से हटाकर मुख्यालय में सम्बद्ध करे एवं जाँचोपरान्त उनके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दाखिल ऑडियो क्लिप की जाँच कर तत्काल सख्त कार्रवाई करे।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–02/2024 1321 **पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– श्री भारतेन्दु कुमार, (Emp. ID No.- AEN02988), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका, Email ID- bhartendu612@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–02 / 2024 1321D **पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–02 / 2024 1321D **पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–02 / 2024 1321D **पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–02 / 2024 1321D **पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–07 / 2024 1321D **पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप